सत्यमेव जयते

2017-18
के संबंध में
केन्द्रीय सरकार के व्यय
के लिए
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS
for
EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

RELATING TO

2017-18

संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) के अनुसरण में लोकसभा में प्रस्तुत
Presented to the Lok Sabha in pursuance of clause (1) (b) of Article 115 of the Constitution

[राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगों को प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(ख) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अधीन आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है]

[The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(b) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained]

जुलाई/July, 2021

प्रस्तावना टिप्पणी

इस खण्ड में शामिल अतिरिक्त अनुदान की मांगें 2017-18 के दौरान कतिपय मांगों के अंतर्गत किए गए वास्तविक व्यय दर्शाती हैं, जो उस वर्ष के लिए संसद द्वारा दी गई राशि के अतिरिक्त हैं।

2. 2017-2018 के दौरान 3 अनुदानों और 1 विनियोग में कुल ₹99610,31,00,900 का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3. संबंधित मांगों/विनियोग में अतिरिक्त व्यय होने के कारणों को इस पुस्तिका में अतिरिक्त मांग के विवरण में दिए गए हैं।

4. उपर्युक्त अधिक व्यय की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की गई है, जिन्होंने चौबीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोक सभा) के भाग-II के पैराग्राफ 9 के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 115(1) (ख) के अधीन नियमित करने की सिफारिश की है।

INTRODUCTORY NOTES

The Demands for Excess Grants contained in this Volume represent the actual expenditure incurred during 2017-18 under certain Demands which are in excess of the amounts granted by the Parliament for that year.

2. The excess expenditure during 2017-18 occurred in 3 Grants and 1 Appropriation amounting to a total of ₹99610,31,00,900.

3. The reasons for excess expenditure in respective Demands/ Appropriation have been explained in the Excess Demand Statements contained in this booklet.

4. The above excess expenditure have been scrutinised by the Public Accounts Committee, who, vide paragraph 9 of Part–II of Twenty Fourth Report (Seventeeth Lok Sabha), have recommended their regularisation under Article 115(1) (b) of the Constitution of India.

वर्ष 2017-2018 के दौरान संसद द्वारा स्वीकृत अनुदानों/विनियोगों से हुए अतिरिक्त व्यय को दर्शाने वाला विवरण

Statement showing the expenditure incurred in excess of the Grants Voted/Appropriations made by Parliament during 2017-2018

	संख्या और अनुदान शीर्षक			No. & Title of Demand		अंतिम अनुदान/विनियोग Final Grant/ Appropriation ₹	वास्तविक व्यय Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय Excess Expenditure ₹	पृष्ठों का संदर्भ Ref. to pages
I.	<u>विनियोग लेखा</u>		I.	**Appropriation Accounts**					
	राजस्व से पूरा किया गया व्यय			**EXPENDITURE MET FROM REVENUE**					
20	रक्षा सेवाएं		20	Defence Services	Voted	1982637515000	2016556862444	33919347444	1
39	पेंशन		39	Pensions	Voted	408950000000	410226161842	1276161842	4-5
	जोड़ राजस्व			**TOTAL Revenue**		**2391587515000**	**2426783024286**	**35195509286**	
21	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	*भारित*	21	Capital outlay on Defence Services	*Charged*	*3413700000*	*5457199597*	*2043499597*	2
		स्वीकृत			Voted	863399600000	898926769143	35527169143	
38	ऋण के पुनर्भुगतान	*भारित*	38	Repayment of Debt	*Charged*	*57802709400000*	*58726046322874*	*923336922874*	3
	जोड़ पूंजी			**TOTAL Capital**		**58669522700000**	**59630430291614**	**960907591614**	
		भारित			*Charged*	*57806123100000*	*58731503522471*	*925380422471*	
		स्वीकृत			Voted	863399600000	898926769143	35527169143	
	कुल जोड़			***GRAND TOTAL***		***61061110215000***	***62057213315900***	***996103100900***	
		भारित			*Charged*	*57806123100000*	*58731503522471*	*925380422471*	
		स्वीकृत			Voted	3254987115000	3325709793429	70722678429	

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा सेवाएं

DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत **रक्षा सेवाएं** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2018, in respect of the **DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

स्वीकृत (राजस्व): तीन हजार तीन सौ इक्यानवे करोड़ तिरानवे लाख सैंतालीस हजार चार सौ चवालीस रुपये।

Voted (Revenue): Three thousand three hundred ninety one crore ninety-three lakh forty-seven thousand four hundred forty-four Rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	198263,75,15,000	201655,68,62,444	3391,93,47,444

₹195309,04,15,000 के मूल विनियोग में मार्च 2018 में ₹2954,71,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹198263,75,15,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹201655,68,62,444 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹3391,93,47,444 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय वित्त वर्ष के मध्य के दौरान 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन; उत्तरी सीमाओं पर क्षमता विकास की वजह से अभिवृद्धि; राशन-ईंधन; तेल एवं स्नेहक उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी; चिकित्सा उपकरण; चिकित्सा स्टोर; आपातकालीन अधिप्राप्ति जिसके लिए अनुबंध वित्त वर्ष 2016-17 में ही निष्पादित कर दिया गया था; केंद्रीय सैनिक बोर्ड की लंबे समय से लंबित देयताओं; 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सैनिक स्कूल को भुगतान करने; काल प्रभावित पोतों, वायुयानों, पनडुब्बियों तथा उपकरणों की अत्यावश्यक मरम्मत; महत्वपूर्ण गोला-बारूद और भंडारों की अधिप्राप्ति; आयातित भंडारों और उपकरणों पर सांविधिक सीमा-शुल्कों; इकाई भत्तों, खेलकूद संबंधी क्रियाकलापों तथा अन्य विविध व्ययों; अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होने; चरणबद्ध अदायगियों को शीघ्र पूरा करने और आपातकालीन विद्युत मामलों के समावेशों विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होने; हवाई एवं जमीनी हथियार अस्त्र-शस्त्रों की पुनःपूर्ति/अधिप्राप्ति; अतिरिक्त वस्त्रों की अधिप्राप्ति; दीमापुर जिले में 205.27 एकड़ भूमि पट्टे पर लेने; अनुसूचित यात्रा दरों की समीक्षा, किराया दर व कर खंड में वृद्धि होने; हल्के लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए वैमानिकी विकास एजेंसी के महानिदेशक द्वारा अतिरिक्त व्यय; विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों हेतु विभिन्न प्रयोगशालाओं/संस्थापनाओं की प्रतिबद्धताओं और देनदारियों;सीसीएस और विशेष योजनाओं की आवश्यकता; अध्येतावृत्ति एवं अनुसंधान वृत्तिकाओं में बढ़ोतरी होने तथा अन्य संविदात्मक बाध्यताओं की वजह से हुआ।

The Original Appropriation of ₹195309,04,15,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹2954,71,00,000 obtained in March, 2018. Against the Final Appropriation of ₹198263,75,15,000 the actual expenditure was ₹201655,68,62,444 resulting in an excess expenditure of ₹3391,93,47,444 which requires regularisation. The excess was incurred due to implementation of 7th Central Pay Commission recommendations during mid Financial Year; accretion due to Capability Development along Northern Borders; hike in prices of Ration-Fuel, Oil and Lubricants products; Medical Equipment; Medical Store; Emergency Procurement for which contract were already executed in FY 2016-17; settlement of long pending dues of Kendriya Sainik Board; payment to Sainik School on implementation of 7th Central Pay Commission recommendations; essential repairs of ageing ships, aircraft, submarines and equipments; procurement of critical ammunition and stores; statutory Customs Duties on imported stores and equipment; increase in expenditure on unit allowances, sport activities and other miscellaneous expenditure; price hike of crude oil prices in International Market; early achievement of Milestone payments and inclusion of emergency power cases; variation in exchange rate; replenishment/procurement of airborne and ground bases weapon armament; procurement of additional clothing; obtaining lease of 205.27 acres of land at Dimapur District; revision of Schedule Travel Rates; increase in Rent rate and Taxes segment; additional expenditure by Director General Aeronautical Development Agency for Light Combat Aircraft Programme; commitments and liabilities of various Lab/Establishments for various Research & Development activities; requirements for CCS and special schemes; increase in Fellowship & Research stipends; and also other contractual obligations.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत **रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2018, in respect of the **CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES** under **MINISTRY OF DEFENCE.**

भारित (पूंजी): दो सौ चार करोड़ चौंतीस लाख निन्यानवे हजार पांच सौ सत्तानवे रुपये।

Charged (Capital): Two hundred four crore thirty-four lakh ninety-nine thousand five hundred ninety-seven rupees.

स्वीकृत (पूंजी): तीन हजार पांच सौ बावन करोड़ इकहत्तर लाख उनहत्तर हजार एक सौ तेंतालीस रुपये।

Voted (Capital): Three thousand five hundred fifty-two crore seventy-one lakh sixty-nine thousand one hundred forty-three rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure	अतिरिक्त व्यय/ Excess
	₹	₹	₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	*341,37,00,000*	*545,71,99,597*	*204,34,99,597 (a)*
स्वीकृत Voted	86339,96,00,000	89892,67,69,143	3552,71,69,143 (b)

(क) ₹148,06,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2018 में ₹193,31,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹341,37,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹545,71,99,597 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹204,34,99,597 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय सीबर्ड परियोजना, कारवाड़ में भूमि से वंचित होने वालों को वृद्धित दरों पर क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने पर हुआ था।

(ख) ₹86339,95,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2018 में ₹1,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹86339,96,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹89892,67,69,143 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹3552,71,69,143 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय मानवरहित दो फौजी विमानों (यूएवी) हेरॉन के मौजूदा अनुबंध के साख-पत्र के माध्यम से विदेशी भुगतानों तथा यूएवी हेरॉन के संबद्ध वार्षिक रखरखाव अनुबंध और मैसर्स एचएएल के मौजूदा अनुबंधों में अनिवार्य जमाराशि की प्रतिपूर्ति; साख-पत्र के माध्यम से विदेशी भुगतानों के निपटान; सूक्ष्म लाइटों की अधिप्राप्ति; अन्य प्रतिबद्ध देयताओं; रोहतांग सुरंग और सीजीसी सड़कों की प्रगति; किसी गोपनीय परियोजना के लिए विकाराबाद में भूमि अधिग्रहण; आयातित उपकरणों पर सीमा-शुल्क की अदायगी; महत्वपूर्ण हथियार और सुरक्षा सबंधी उपकरणों की अधिप्राप्ति; वार्षिक अनुरक्षण कार्ययोजना, विवाहित आवास परियोजनाओं के अंतर्गत व्यय में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी; प्रगतिशील सामरिक परियोजनाओं; विदेशी विक्रेताओं को बाध्यकारी संविदात्मक भुगतान जिनके लिए साख-पत्र बैंकों में पहले ही दे दिया गया था; अंतरिम अनुरक्षण सेवाओं; विनिमय दर में उतार-चढ़ाव; कार्य निष्पादन की गति तेज होने जैसेकि एएफए हैदराबाद में रनवे पुनर्निर्माण परियोजना; संविदात्मक बाध्यताओं (माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा निरीक्षणाधीन एएफएस चंडीगढ़ में रनवे परियोजनाएं) ; एस5 के लिए पोतप्रांगण सुविधा के अभिकल्प व निर्माण के लिए प्रगत प्रौद्योगिकी पोत कार्यक्रम (एटीवीपी) के महा-निदेशक की आवश्यकता पूरी करने हेतु किए गए व्यय के कारण हुआ।

(a) The Original Appropriation of ₹148,06,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹193,31,00,000 obtained in March, 2018. Against the Final Appropriation of ₹341,37,00,000 the actual expenditure was ₹545,71,99,597 resulting in an excess expenditure of ₹204,34,99,597 which requires regularisation. The excess was incurred to comply with court orders for payment of compensation to land losers in Project Seabird, Karwar at enhanced rates.

(b) The Original Appropriation of ₹86339,95,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹1,00,000 obtained in March, 2018. Against the Final Appropriation of ₹86339,96,00,000 the actual expenditure was ₹89892,67,69,143 resulting in an excess expenditure of ₹3552,71,69,143 which requires regularisation. The excess was incurred due to Foreign Payments through Letter of Credit of existing contract of Two Troops Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Heron and Associated Annual Maintenance Contract of UAV Heron as well as reimbursement of CD in the existing contracts of M/s HAL; settlement of Foreign payments through Letter of Credit; procurement of Micro lights; other Committee Liabilities; progress of Rohtang Tunnel and CGC Roads; land acquisition in Vikarabad for classified project; payment of Customs Duty on imported equipment; procurement of critical Weapon and Security related equipment; substantial increase in expenditure under Annual Maintenance Work Plan, Married Accommodation Projects; progressing Strategic Projects; obligatory contractual payments to Foreign Vendors for which Letter of Credit was already opened with the Banks; Interim Maintenance Services; Exchange Rate Variation; better pace of execution of works viz. Runway resurfacing project at AFA Hyderabad; Contractual Obligations (Runway projects at AFS Chandigarh monitored by Hon'ble High Court of Punjab and Haryana); requirement of Directorate General of Advance Technology Vessel Programme (ATVP) for design and construction of shipyard facility for S5.

मांग संख्या DEMAND NO. 38

ऋण का पुनर्भुगतान

REPAYMENT OF DEBT

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत **ऋण का पुनर्भुगतान** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2018, in respect of the **REPAYMENT OF DEBT** under **MINISTRY OF FINANCE.**

भारित (पूंजी): बयानवे हजार तीन सौ तेंतीस करोड़ उनहत्तर लाख बाइस हजार आठ सौ चौहत्तर रुपये।

Charged (Capital): Ninety-two thousand three hundred thirty-three crore sixty-nine lakh twenty-two thousand eight hundred seventy-four rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
पूंजी Capital			
भारित Charged	*5780270,94,00,000*	*5872604,63,22,874*	*92333,69,22,874*

₹5085304,76,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2018 में ₹694966,18,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹5780270,94,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹5872604,63,22,874 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹92333,69,22,874 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय राज्य सरकारों द्वारा अपनी वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में अधिक राशि आहरित करने की वजह से हुआ था। इस पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा इस शीर्ष में/में से प्राप्तियां/निवेश तथा आहरण/विनिवेश आवश्यकता के आधार पर होता है और उन्हें ऐसा करने का अधिकार प्राप्त है।

The Original Appropriation of ₹5085304,76,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹694966,18,00,000 obtained in March, 2018. Against the Final Appropriation of ₹5780270,94,00,000 the actual expenditure was ₹5872604,63,22,874 resulting in an excess expenditure of ₹92333,69,22,874 which requires regularisation. The excess was incurred due to higher amount withdrawn by the State Governments in the last days of the financial year to meet their financial obligations. There is no control on this as the receipts/investments and withdrawal/disinvestment of funds in/from this head by the State Governments is on need basis and they are empowered to do so.

मांग संख्या DEMAND NO. 39

पेंशन

PENSIONS

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत **पेंशन** के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अनुदान से अधिक व्यय की गई राशि।

Amount expended in excess of the Grant for the year ended 31st March, 2018, in respect of the **PENSIONS** under **MINISTRY OF FINANCE.**

स्वीकृत (राजस्व): एक सौ सत्ताइस करोड़ इकसठ लाख इकसठ हजार आठ सौ बयालीस रुपये।

Voted (Revenue): One hundred twenty-seven crore sixty-one lakh sixty-one thousand eighty hundred forty-two rupees.

भाग Section	अन्तिम अनुदान/ Final Grant ₹	वास्तविक व्यय/ Actual Expenditure ₹	अतिरिक्त व्यय/ Excess ₹
राजस्व Revenue			
स्वीकृत Voted	40895,00,00,000	41022,61,61,842	127,61,61,842

₹34990,00,00,000 के मूल विनियोग में मार्च 2018 में ₹5905,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग प्राप्त करके वृद्धि की गई थी। ₹40895,00,00,000 के अंतिम विनियोग की तुलना में ₹41022,61,61,842 का वास्तविक व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹127,61,61,842 का अधिक व्यय हुआ, जिसे नियमित करना अपेक्षित है। यह अधिक व्यय निम्नलिखित के कारण हुआ:

1. पेंशन अनुदान एक मिश्रित अनुदान है। पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं हैं और इन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। पेंशनभोगियों को पेंशन सीधे केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (सीपीएओ) से नहीं बल्कि प्रत्येक पेंशनभोगी के संबंध में सीपीएओ द्वारा कई लेखा मंडलों, जो इस मिश्रित अनुदान को सीधे बही अंकित करते हैं तथा स्थायी पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करने वाले प्राधिकृत बैंकों के द्वारा दी जाती है। भुगतान राज्य-कोष से भी किया जाता है और तत्पश्चात इसकी प्रतिपूर्ति सीपीएओ की ओर से वांछित होती है। अनुमान निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए जाते हैं: (i) लेखा मंडलों द्वारा दी गई सूचना जो भुगतान करते हैं; (ii) सीपीपीसी (केंद्रीय पेंशन संसाधन केंद्र) से प्राप्त नामखाता सूची (डेबिट स्क्रॉल्स) के आधार पर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा बही अंकित व्यय की प्रवृत्ति।

2. वित्त वर्ष 2017-18 में, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 12-05-2017 के का.ज्ञा.सं.38/37/2016-पीएंडपीडब्ल्यू(ए) तथा वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के दिनांक 23-05-2017 के का.ज्ञा.सं.1(12)/ईV/2017 के अनुसरण में, एक विशिष्ट उल्लेख किया जा रहा है कि वित्त वर्ष 2016-17 में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण, पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन की राशि व उपदानों का संचयी मूल्य बढ़ गया था।

The Original Appropriation of ₹34990,00,00,000 was augmented by a Supplementary Appropriation of ₹5905,00,00,000 obtained in March, 2018. Against the Final Appropriation of ₹40895,00,00,000 the actual expenditure was ₹41022,61,61,842 resulting in an excess expenditure of ₹127,61,61,842 which requires regularisation. The excess was incurred due to the following reasons:-

1. Pension Grant is a Composite Grant. Pension and other retirement benefits are a committed liability of the Government and cannot be withheld. Payments to pensioners are not made directly by CPAO but by several Accounting Circles who book directly to this Composite Grant and by authorized banks that are issued standing Pension Payment Orders (PPOs) in respect of each pensioner by CPAO. Payment is also made by State Treasuries and reimbursement sought thereafter from CPAO. Estimate are framed on the basis of (i) information supplied by Accounting Circles who make the payment; (ii) Trend of Expenditure booked by Central Pension Accounting Office (CPAO) on the basis of the Debit scrolls received from CPPCs (Central Pension Processing Centre).

2. In the financial year 2017-18 due to order on Implementation of Revision of Pension of Pre-2016 Pensioners/Family Pensioners in pursuance to DP&PW O.M. 38/37/2016-P&PW(A) dated 12/05/2017 and M/o Finance (D/o Expenditure) O.M. No.1(12)/EV/2017 dated 23/05/2017, a specific mention is being made that due to implementation of 7th CPC in the financial year 2016-17, the amount of Pension, Family Pension, Commuted Value of Pension and Gratuities had increased.

3. बैंकों द्वारा किए गए पेंशन भुगतानों का लेखांकन विभिन्न सीपीपीसी से प्राप्त नामखाता सूची के माध्यम से कार्योत्तर किया जाता है। इसके अलावा, भारत सरकार का नकद शेष भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को इन भुगतानों की प्रतिपूर्ति किए जाने से पहले ही कम हो गया था। इस अनुदान में अंतिम व्यय दर्ज करने से विपरीत शेष उचंत (कॉन्ट्रा सस्पेंस) बही अंकन होता है ताकि वर्ष में भुगतान की गई पेंशनों को सटीक रूप से दर्शाया जा सके।

4. इसके अतिरिक्त, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों और आकस्मिकताओं और सरकारी कर्मचारियों का सहसा निधन हो जाने के कारण, यह संभव ही नहीं है कि व्यय की तुलना में बजट अनुमानों का पूर्वानुमान लगाया जा सके जिसके फलस्वरूप बजट प्रावधान और किए गए व्यय के बीच अंतर आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं होती हैं और अपरिहार्य प्रकृति होने से इन भुगतानों को निषिद्ध नहीं किया जा सकता।

3. Accounting of pension payments made by banks, takes place ex-post facto through debit scrolls received from the various CPPCs. Besides, the cash balance of the Government of India had already been reduced by the reimbursements of these payments to banks by the Reserve Bank of India. The recording of the final expenditure in this Grant releases the contra suspense booking to accurately reflect the pensions paid in the year.

4. Further, in respect of voluntary retirement cases and contingencies and due to sudden demise of Govt. servants, it is not possible to forecast the budget estimates viz. a viz. expenditure accurately lending to a possibility of variation between Budget provision and the expenditure incurred, Since Pension and other retirement benefits are committed liability of the Govt. and of inevitable nature these payments cannot be restricted.